सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 23 नवम्बर, 2017 ई0

अग्रहायण 02, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–8

संख्या 981/2017/9(120)/XXVII (8)/2017

देहरादून, 23 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशो के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना सं. 518/2017 /9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात् –

1. उक्त अधिसूचना में,

(क) सारणी में,

(i) क्रम संख्या 122 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"122 क	4907	इयूटी क्रेडिट स्क्रिप्स"

(ii) क्रम संख्या 149 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"150	-	केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय निकाय, जैसी भी स्थिति हो, से अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के एवज में, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय निकाय या ऐसे किसी व्यक्ति, जिसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, को किसी सरकारी निकाय द्वारा की जाने वाली वस्तुओं की आपूर्ति।"

(ख) स्पष्टीकरण में, खंड (पांच) के बाद निम्नलिखित खंड अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(छः) वाक्य "सरकारी निकाय" से अभिप्राय किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या अन्य किसी निकाय जिसमें सोसायटी, ट्रस्ट, निगम भी आते हैं, जोकि;

(क) संसद या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम;

(ख) किसी सरकार द्वारा किया गया;

और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से 90 प्रतिशत या इससे अधिक की भागीदारी हो और जिसका काम केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना है।"

(ग) अनुबंध I में, (ख) के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा:-

" बशर्ते कि, यदि ब्राण्ड नेम पर कार्यवाही किए जाने के लिए दावा या प्रवर्तनीय अधिकार रखने वाला व्यक्ति और यूनिट कंटेनरों में ऐसे माल को पैक करने वाले दो अलग-अलग व्यक्ति है तो वह व्यक्ति जो कि ब्राण्ड नेम पर दावा कर सकता है या जिसका प्रवर्तनीय अधिकार है ऐसे माल की पैकिंग करने वाले व्यक्ति के क्षेत्राधिकार वाले राज्य कर आयुक्त के पास इस आशय का शपथ पत्र जमा करेगा की वह स्पष्टीकरण (ii)(क) में यथा परिभाषित ऐसे ब्राण्ड नेम पर अपने कार्यवाही योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग करता है; और उसने उस व्यक्ति [जो कि ऐसे यूनिट कंटेनरों में ऐसे ब्राण्ड नेम वाले माल की पैकिंग करता है] को इस बात के लिए प्राधिकृत करता है कि वह ऐसे यूनिट कंटेनरों पर अंग्रेजी और स्थानीय दोनों भाषाओं में तथा न मिटने वाली स्याही से यह मुद्रित कर सकेगा कि ऐसे ब्राण्ड नेम पर वह [जिसके पास ब्राण्ड नेम का अधिकार होगा] ऐसे ब्राण्ड नेम पर कार्यवाही योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर रहा है। "

2. यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त समझी जाएगी ।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. **981/2017/9(120)/XXVII(8)/2017,** dated November 23, 2017 for general information:

No. 981/2017/9(120)/XXVII(8)/2017
Dated Dehradun, November 23, 2017

NOTIFICATION

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 518/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017, namely:-

1. In the said notification,-

(A) in the Schedule,-

(i) after S. No. 122 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"122A	4907	Duty Credit Scrips";

(ii) after S. No. 149 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"150	-	Supply of goods by a Government entity to Central Government, State Government, Union territory, local authority or any person specified by Central Government, State Government, Union territory or local authority, against consideration received from Central Government, State Government, Union territory or local authority in the form of grants";

(B) in the *Explanation*, after clause (v), the following clause shall be inserted, namely:-

"(vi) The phrase "Government Entity" shall mean an authority or a board or any other body including a society, trust, corporation, which is:

(a) set up by an Act of Parliament or State Legislature; or

(b) established by any Government,

with 90 percent or more participation by way of equity or control, to carry out a function entrusted by the Central Government, State government, Union territory or a local authority.".

(C) in ANNEXURE I, after point (b), the following proviso shall be inserted

"Provided that, if the person having an actionable claim or enforceable right on a brand name and the person undertaking packing of such goods in unit containers are two different persons, then the person having an actionable claim or enforceable right on a brand name shall file an affidavit to that effect with the jurisdictional Commissioner of State tax of the person undertaking packing of such goods that he is voluntarily foregoing his actionable claim or enforceable right on such brand name as defined in Explanation (ii)(a); and he has authorised the person [undertaking packing of such goods in unit containers bearing said brand name] to print on such unit containers in indelible ink, both in English and the local language, that in respect of such brand name he [the person owning the brand name] is voluntarily foregoing the actionable claim or enforceable right voluntarily on such brand name."

2. This notification shall deemed to come into force from 13th day of October, 2017.

By Order,

RADHA RATURI,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 116 वित्त/832–2017–100+100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।